न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 102/2024 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण दौसा

— आवेदक—

बनाम

1. श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा
   एफबीओ मैसर्सः—बजरंग डेयरी, खटीक मौहल्ला सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गतएफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 27.05.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 16.05.2024 को सायंकाल 05:30 बजे कलेक्ट्रेट सर्किल दौसा पर नाकाबंदी के दौरान एक वाहन पिकअप **RJ14GK0964** में लोहे के बॉक्स में लगभग 250 किलोग्राम पनीर वाहन चालक श्री राकेश मीना के द्वारा ले जाया जा रहा था। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उक्त खाद्य पदार्थ मैसर्सः— बजरंग डेयरी, खटीक मौहल्ला सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा का होना बताया। फर्म के मालिक श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने मौके पर उपस्थित होकर स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना तथा यह खाद्य पदार्थ स्वयं को होना बताया। श्री सुरेश चन्द शर्मा को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय लगभग 250 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** को परिवहन वाहन संख्या **RJ14/GK0964** में लोहे के बक्सों में आम जनता को विक्रय हेतु ले जाया जा रहा था। इसमें मिलावट का शक होने पर नमूने की जॉच हेतु 1 किलोग्राम पनीर खुला **(Paneer loose)** अच्छी तरह से हिलामिला कर एक साफ सुखे व खाली बर्तन में खरीदा। जिसकी कीमत 300 रूपये नकद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1 किलोग्राम पनीर खुला **(Paneer loose)** को डिजीटल वेट मशीन से तौलकर 250—250 ग्राम चार साफ सुखी व खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर डाला, चारो बोतलों में 20—20 बून्दे प्रिजरवेटिव फार्मलीन की डालकर ढक्कन लगाकर बन्द किया। चारो नमूने तैयार करके चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफबीओ के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर नमूनों पर अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा द्वारा जारी ... हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG-4316** गोंद से चिपकाकर नमूनों को ... मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनो को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर नमूनों पर एफबीओ(विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनो को अपने कब्जे में लिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म संख्या 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बन्द भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महेश कुमार सैनी मुख्यालय द्वारा दिनांक 17.05.2024 को खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द भाग व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 17.05.2024 को अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द भाग व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 17.05.2024 को अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2101/एक्ट/2024/2026 दिनांक 30.05.2024 के अनुसार यह नमूना अमानक**(SUBSTANDARD)** एवं बाह्य पदार्थ **(EXTRANEOS MATTER)** का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं न्यायालय में उपस्थित आया एवं बहस करने का निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2101/एक्ट/2024/2026 दिनांक 30.05.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया उक्त खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** के नमूने की जांच रिपोर्ट निम्नानुसार कमिया पाई गई है:—

उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने की जांच रिपोर्ट में **Milk Fat content of the dry matter 40.55** प्रतिशत ही पाया गया है जो कि तय मानको के अनुसार 50.0 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये था।

उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने की जांच रिपोर्ट में पनीर खुला **(Paneer loose)** की **B.R. Reading of extracted fat 44.6** प्रतिशत पाई गई जो कि 40.0 से 44.0 के मध्य होनी चाहिये थी।

उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने की जांच रिपोर्ट में नमूने में **Foreign Fat present(Fatty acid profile of sampel does not match with the fatty acid profile of ghee/milk fat)** पाया गया है।

इस प्रकार से अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** के नमूने की जांच रिपोर्ट में **Milk Fat content** तय मानको से कम, खाद्य पदार्थ की **B.R. Reading** तय मानको से अधिक पाये जाने से यह खाद्य पदार्थ अमानक **(SUBSTANDARD)** स्तर का एवं खाद्य पदार्थ में **Foreign Fat present** होने के कारण यह खाद्य पदार्थ **Food Containing extraneousmatter (foreign fat) under section** [illegible] का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक**(SUBSTANDARD)** एवं **Food Containing extraneous matter (foreign fat)** स्तर के खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** का विक्रय कर एफएसए [illegible] की धारा 26 (2) **(II)** का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 व 54 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:47 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ पनीर में फैट की मात्रा कम पाई गई है। पनीर का निर्माण करते समय किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की जाती है। भविष्य में हमारे द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तय मानको का ध्यान रखते हुये भी खाद्य पदार्थो का विक्रय किय जावेगा। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2101/एक्ट/2024/2026 दिनांक 30.05.2024 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** का नमूना अमानक **(SUBSTANDARD)** एवं **Food Containing extraneousmatter (foreign fat)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक**(SUBSTANDARD)** एवं **Food Containing extraneousmatter (foreign fat)** स्तर के खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) **(II)** का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 व 54 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक**(SUBSTANDARD)** एवं **Food Containing extraneousmatter(foreign fat)** स्तर के खाद्य पदार्थ पनीर खुला **(Paneer loose)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा एफबीओ मैसर्सः–बजरंग डेयरी, खटीक मौहल्ला सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा पर 15,000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 27.05.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ 2025/ दिनांकः– .05.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा एफबीओ मैसर्सः–बजरंग डेयरी, खटीक मौहल्ला सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:47 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा